बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक......................................./

सं0–3/आ01–272/2024................................/ श्री अखिल वैभव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक–169525 दिनांक 02.11.2024 द्वारा प्रेषित पत्र में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के स्तर से आरोप पत्र प्रतिवेदित किए गए थे, आरोप पत्र में अंकित आरोप यथा – श्री दिवेश कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चंपारण द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जाँच कार्य में सहयोग नहीं करने, स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में सरकारी सेवक हेतु निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के कारण विभागीय पत्रांक–207 दिनांक 11.11.2024 द्वारा बचाव अभिकथन मांग की गयी।

2. श्री वैभव द्वारा पत्रांक–948 दिनांक 19.11.2024 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसे संतोषजनक नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प संख्या–238 दिनांक–28.11.2024 से श्री वैभव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री वैभव के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के विभागीय मंतव्य एवं आरोपित पदाधिकारी के जवाब के आधार पर आरोपों को अंशतः सही परिलक्षित होना प्रतिवेदित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाए जाने के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18(3) के आलोक में विभागीय पत्रांक– 349547 दिनांक 16.01.2026 से श्री वैभव से लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। श्री वैभव द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है

5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया है कि आरोपी सरकारी सेवक से जिस स्तर की तत्परता अपेक्षित थी, उसमें अभिरुचि का अभाव एवं कार्य में विलंब परिलक्षित हैं।

6. अतः श्री अखिल वैभव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, पूर्वी चम्पारण को भविष्य के लिए **"चेतावनी"** (जिसकी प्रविष्टि सेवापुस्त में की जाएगी) के साथ इस अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–3/आ01–272/2024 I/370302/ पटना, दिनांक– 24/02/2026/

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0, मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना /क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई0 टी0, मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार/श्री अखिल वैभव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, पूर्वी चम्पारण एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 24-02-2026 14:16:06